न्यायालयः—व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2 बैहर के अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2, बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.) (पीठासीन अधिकारीः—सिराज अली)

<u>व्य.वाद कं.—57ए / 2014</u> प्रस्तुति दिनांक—16.05.2014

- 1—निरपतसिंह पिता अमरसिंह, उम्र—66 वर्ष, जाति गोंड, निवासी—गुदमा, तहसील बिरसा, जिला बालाघाट म.प्र.
- 2—सुरपतसिंह पिता अमरसिंह, उम्र–65 वर्ष, जाति गोंड, निवासी–गुदमा, तहसील बिरसा, जिला बालाघाट म.प्र.
- 3—निर्मलसिंह पिता जीवनसिंह, उम्र—48 वर्ष, जाति गोंड, निवासी—गुदमा, तहसील बिरसा, जिला बालाघाट म.प्र.
- 4—युवराज पिता लक्ष्मणसिंह, उम्र—45 वर्ष, जाति गोंड, निवासी—भारदा, तहसील बिरसा, जिला बालाघाट म.प्र.
- 5—यमुना पिता जयपाल, उम्र—44 वर्ष, जाति गोंड, निवासी—भारदा, तहसील बिरसा, जिला बालाघाट म.प्र.
- 6—नन्दिकशोर पिता जयपालसिंह, उम्र—22 वर्ष, जाति गोंड, निवासी—भारदा, तहसील बिरसा, जिला बालाघाट म.प्र.
- 7—छोटू पिता महारू, उम्र—70 वर्ष, जाति गोंड, निवासी—गुदमा, तहसील बिरसा, जिला बालाघाट म.प्र.
- 8—बीजूसिंह पिता जीवन, उम्र—60 वर्ष, जाति गोंड, निवासी—कोहका, तहसील बिरसा, जिला बालाघाट म.प्र

· 🅰 – – –<u>वादीगण</u>

बनाम

- 1—रूमालसिंह पिता मुन्नालाल, उम्र–48 वर्ष, जाति गोंड, निवासी–गुदमा, तहसील बिरसा, जिला बालाघाट म.प्र.
- 2—सानिया बाई पति स्व. झामसिंह, उम्र–50 वर्ष, जाति गोंड, निवासी–गुदमा, तहसील बिरसा, जिला बालाघाट म.प्र.
- 3—सरवन पिता स्व. झामसिंह, उम्र—23 वर्ष, जाति गोंड, निवासी—गुदमा, तहसील बिरसा, जिला बालाघाट म.प्र.
- 4—विजय पिता स्व. झामसिंह, उम्र—21 वर्ष, जाति गोंड, निवासी—गुदमा, तहसील बिरसा, जिला बालाघाट म.प्र.

- 5—मोतीन बाई पिता स्व. झामसिंह, उम्र—26 वर्ष, जाति गोंड, निवासी—गुदमा, तहसील बिरसा, जिला बालाघाट म.प्र.
- 6—दशवन्त सिंह पिता स्व. झामसिंह, उम्र—25 वर्ष, जाति गोंड, निवासी—गुदमा, तहसील बिरसा, जिला बालाघाट म.प्र.
- 7—दौलीबाई पति मुन्नालाल, उम्र–70 वर्ष, जाति गोंड, निवासी–गुदमा, तहसील बिरसा, जिला बालाघाट म.प्र.
- 8—तुलाराम पिता मुन्नालाल, उम्र—46 वर्ष, जाति गोंड, निवासी—गुदमा, तहसील बिरसा, जिला बालाघाट म.प्र.
- 9—चैनबती बाई पति कुमानसिंह, उम्र—46 वर्ष, जाति गोंड, निवासी—गुदमा, तहसील बिरसा, जिला बालाघाट म.प्र.
- 10—सुरजीत पिता कुमानसिंह, उम्र—27 वर्ष, जाति गोंड, निवासी—गुदमा, तहसील बिरसा, जिला बालाघाट म.प्र.
- 11—साधना पिता कुमानसिंह, उम्र—25 वर्ष, जाति गोंड, निवासी—गुदमा, तहसील बिरसा, जिला बालाघाट म.प्र.
- 12—देवनसिंह पिता मुन्नालाल, उम्र—42 वर्ष, जाति गोंड, निवासी—गुदमा, तहसील बिरसा, जिला बालाघाट म.प्र.
- 13-म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर बालाघाट

– – — प्रितिवादीगण

<u>आदेश</u> दिनांक-04/03/2015 को पारित

- 1— इस आदेश के द्वारा वादीगण की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1, 2 व्यवहार प्रक्रिया संहिता (आई.ए.नंबर 1) का साथ निराकरण किया जा रहा है।
- 2— प्रकरण में महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य यह है कि मौजा गुदमा प.ह.नं. 51 रा. नि.मं. व तहसील बिरसा, जिला बालाघाट स्थित खसरा नं. 18/23क रकबा 0.62/0. 250 हेक्टेअर भूमि (जिसे आगे विवादित भूमि से संबोधित किया जावेगा) वादीगण एवं प्रतिवादीगण की शामिल शरीक भूमि है।
- 3— वादीगण का आवेदन पत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि विवादित भूमि पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण का मकान बना हुआ है। वादीगण के मकान में आने—जाने का 15 फीट रास्ता, जिसे वादपत्र में अ,ब,स,द भाग अंकित किया गया है पर 50 वर्ष से

वादीगण के द्वारा उपयोग किया जा रहा है। प्रतिवादी क्रमांक—1 से 4 के द्वारा उक्त रास्ता में नींव खोदकर मकान निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है। उक्त निर्माण में वादीगण का आने—जाने का रास्ता संकरा हो जाएगा तथा वे आने—जाने हेतु सुखाधिकार से वंचित हो जाएंगे। वादीगण द्वारा उक्त निर्माण कार्य को रोके जाने पर भी प्रतिवादीगण के द्वारा निर्माण कार्य किया जा रहा है। यदि उक्त रास्ते में निर्माण कार्य किया जाता है तो वादीगण रास्ते के सुखाधिकार से वंचित हो जाएंगे। अतएव विवादित भूमि में स्थित रास्ते, जिसे अ,ब,स,द से चिन्हित किया गया है पर मकान निर्माण करने से रोकने हेतु प्रतिवादीगण के विरुद्ध वाद के निराकरण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

- 4— प्रतिवादी क्रमांक—1 से 12 ने स्वीकृत तथ्य को छोड़कर आवेदन पत्र के संपूर्ण अभिवचन से इंकार करते हुए यह अभिवचन किया है कि वादीगण को मकान में आने—जाने का रास्ता 10 फीट करीब है। उभयपक्ष के पूर्वजों के समय से विवादित भूमि का आपसी बंटवारा होकर उभयपक्ष अपने—अपने हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त हैं तथा उसी समय से मकान में आने—जाने के रास्ते की चौड़ाई लगभग 10 फीट है। वादीगण द्वारा उक्त रास्ते पर निर्माण नहीं किया गया है, बल्कि पूर्व निर्मित मकान पर ही नया निर्माण किया गया है। अतएव वादीगण का आवेदन पत्र सब्यय निरस्त किया जावे।
- 5— प्रकरण में प्रतिवादी कमांक—13 एकपक्षीय है तथा उसकी ओर से आवेदन का जवाब पेश नहीं किया गया है।

6- <u>आवेदन के निराकरण हेतू निम्न विचारणीय बिन्दू है</u>:-

- 1- क्या प्रथम दृष्टया मामला वादीगण के पक्ष में है?
- 2- क्या सुविधा का संतुलन वादीगण के पक्ष में है?
- 3— क्या वादीगण के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी न किये जाने से उन्हें अपूर्णीय क्षति होना संभावित है।

ः : विचारणीय बिन्दुओं का निराकरण : :

7— वादीगण ने अपने पक्ष समर्थन में विवादित भूमि का पांचशाला खसरा फार्म की प्रतिलिपि पेश की है, जिसमें विवादित भूमि पर उभयपक्ष का नाम शामिल शरीक रूप से दर्ज होना प्रकट होता है। वादीगण ने यह वाद न्यायालय के समक्ष

दिनांक—16.05.14 को पेश किया था। वाद प्रस्तुती के पश्चात् लगभग 6 माह से अधिक समय व्यतित होने पर प्रस्तुत आवेदन पर उभयपक्ष ने तर्क सुनाए हैं। प्रतिवादीगण ने विवादित भूमि पर निर्माणाधीन मकान का कार्य पूर्ण कर लिया जाना प्रकट किया है। वादी ने वर्तमान स्थिति दर्शित करने के संबंध में कोई फोटोग्राफ पेश नहीं किया है तथा उभयपक्ष की ओर से तर्क प्रस्तुती में विवादित भूमि पर मकान का निर्माण कार्य पूर्ण होने के संबंध में उभयपक्ष सहमत हैं।

- 8— उभयपक्ष के मध्य विवादित भूमि के रास्ते की चौड़ाई के संबंध में विवाद है। वादीगण के अनुसार रास्ते की चौड़ाई 15 फीट है तथा प्रतिवादीगण के अनुसार रास्ते की चौड़ाई 10 फीट है। प्रतिवादीगण के द्वारा मकान निर्माण का कार्य पूर्ण किया जाना परिलक्षित होता है। कथित रास्ते पर प्रतिवादीगण के द्वारा मकान का निर्माण कार्य किया गया है अथवा नहीं, इस तथ्य का निराकरण साक्ष्य के उपरान्त गुण—दोष पर किया जाना संभव है। इस स्तर पर वादीगण को प्रतिवादीगण के विरुद्ध निषेधाज्ञा प्रदान नहीं की जा सकती। इस प्रकार वादीगण के पक्ष में प्रथमदृष्टया मामला नहीं बनता है।
- 9— प्रतिवादीगण के द्वारा मकान निर्माण का कार्य पूर्ण किया जाना परिलक्षित होने से यदि प्रतिवादीगण के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो उन्हे तुलनात्मक रूप से वादी की अपेक्षा अधिक असुविधा होगी। साथ ही वादीगण के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी न किये जाने से उन्हें अपूर्णीय क्षति होना संभावित है। अतएव विचारणीय बिन्दु क्रमांक—1 से 3 वादीगण के पक्ष में नहीं पाए जाते हैं।
- 10— उपरोक्त सभी कारण से वादीगण की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1, 2 व्यवहार प्रक्रिया संहिता (आई.ए.नंबर 1) निरस्त किया जाता है।

आदेश खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर पारित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली) व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2, बैहर के अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2, बैहर (सिराज अली) व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2, बैहर के अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2, बैहर